भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 695

दिनांक 24 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

.....

दक्षिण गोवा की कृषि भूमि में खारे पानी का प्रवेश

695. कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मरकाइम और नेउरा में किसानों द्वारा बार-बार खारे पानी के जलप्लावन की सूचना के आलोक में, बांध और साल्टगेट अवसंरचना की मौजूदगी के बावजूद, खजान कृषि की रक्षा के लिए सदियों पुरानी जल नियंत्रण प्रणालियों की मरम्मत, पुनर्निर्माण या उन्नयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने हैं;

(ख) क्या सरकार जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) के कार्यों की स्वतंत्र ऑडिट कराने और प्रणालीगत मुद्दों के समाधान के लिए सुधारात्मक निधि स्वीकृत करने का विचार रखती है, यह देखते हुए कि नेउरा बांधों की मरम्मत पर 9 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, लेकिन दोषपूर्ण स्लुइस गेटों के कारण खारे पानी का प्रवेश जारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उच्च ज्वार के दौरान स्लुइस गेट प्रबंधन में बार-बार होने वाली विफलताओं के कारण कुओं में भूजल संदूषण के कारण वास्तविक समय जल गुणवत्ता सेंसर लगाने और गेट-रखरखाव समितियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए गोवा राज्य अनुसंधान बोर्ड (जीएसआरबी) या केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) को निर्देश देगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार खजान काश्तकार संघों के लिए अनुदान के माध्यम से समुदाय-नेतृत्व वाले रखरखाव का समर्थन करने, तकनीकी प्रशिक्षण को वित्तपोषित करने और जलवायु-अनुकूल तटीय खेती को सक्षम बनाने के लिए सिंचाई आधुनिकीकरण उपायों (जैसे स्लुइस गेट स्वचालन) को सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) से जोड़ने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख):

जल नियंत्रण प्रणाली की मरम्मत, पुनर्निर्माण या उन्नयन संबंधित राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। गोवा राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अधिसूचित खज़ान बंधों की मरम्मत/रखरखाव और पुनर्निर्माण कार्य मृदा संरक्षण प्रभाग, कृषि निदेशालय, गोवा सरकार को सौंपा गया है ताकि राज्य की खज़ान भूमि का संरक्षण किया जा सके। खज़ान बंधों पर कार्य सहायता हेतु निर्दिष्ट पैटर्न के अनुसार लागू कृषि काश्तकारी अधिनियम, 1964 और नियम, 1965 के अंतर्गत किए जाते हैं।

मृदा संरक्षण प्रभाग का कार्य राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित खजान बांध की मरम्मत/सुदृढ़ीकरण करना और उसे संबंधित तालुक मामलातदारों को सौंपना है, जिन्हें तालुक मामलातदारों द्वारा काश्तकार संघ को सौंप दिया जाता है। मरम्मत किए गए बांध को काश्तकार संघ को सौंप दिए जाने के बाद, उपरोक्त अधिनियम के अनुसार, आवश्यकतानुसार समय-समय पर रखरखाव कार्य करके उसे अच्छी स्थिति में बनाए रखना काश्तकारों का संयुक्त दायित्व है।

गोवा राज्य सरकार ने आगे सूचित किया है कि नेउरा में बंध अच्छी स्थिति में हैं, जबकि मरकाइम स्थित बंध के लिए निविदा जारी कर दी गई है और उसकी विविदा को गोवा राज्य निर्माण बोर्ड के विचारार्थ भेज दिया गया है।

(ग):

केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का अधिदेश मुख्य रूप से विभिन्न परियोजनाओं के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्रों (एनओसी) के माध्यम से भूजल निष्कर्षण को विनियमित करने पर केंद्रित है। एनओसी जारी करते समय, सीजीडब्ल्यूए सतत पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए भूजल गुणवत्ता निगरानी की शर्तें निर्धारित करता है। यह उल्लेखनीय है कि गोवा में, राज्य भूजल प्राधिकरण, राज्य के भीतर भूजल प्रबंधन के लिए प्राथमिक नियामक निकाय है।

(घ):

जल के राज्य का विषय होने के कारण; जल संसाधन परियोजनाओं का विस्तार, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और संचालन एवं रखरखाव संबंधित कार्य राज्य सरकारों के अधिदेश के अंतर्गत आता है। तथापि, भारत सरकार, उनके प्रयासों में सहयोग करने के लिए, चल रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जल संसाधनों के सतत विकास और कुशल प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस विभाग में केंद्रीय वित्तपोषण हेतु ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, केंद्रीय वित्तपोषण के लिए किसी परियोजना को शामिल करना विभिन्न सांविधिक मंज़ूरियों, योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंडों की पूर्ति, निधियों की उपलब्धता, स्कीम के क्षेत्र आदि पर निर्भर करता है।

*****